

२७/८

11/07/2024
28/8/2024

आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के
द्वारा प्राथमिक पत्र पेश करने पर पेशी
में ली गई। वादी अधिवक्ता के द्वारा
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92A RTA
गोप्य प्रेषित किया।

वादी अधिवक्ता को सुना गया व
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
लिहाजा वादी का वादपत्र गोप्य प्रेषित करने
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली विनियमों को ध्यान से कम होकर
दाखिल दफतर हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर